कार्यालय ग्राम पंचायत पं.स. सुमेरपुर (पाली)

क्रमांक:- पंचायत / अतिक्रमण /

दिनांक :--

प्रारूप-2

-: आदेश / नोटिस :-अन्तर्गत राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 165(3, 6)

(The Prevention Of Damage to Public Property Act, 1984)	
प्रेषित :	
	प्रकरण संख्या वर्ष वर्ष
प्रसंग :- इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व पत्रांक	दि
जरिये नोटिस आपको पूर्व में सूचित किया गया था,	के क्रम में लेख है कि –
(1) इस कार्यालय से पूर्व में जारी स्थगन आदेश एवं	ं नोटिस की आपके द्वारा जानबूझकर
पालना नही की गई, जो अपराध की श्रेणी में आता है।	
अथवा	
आप द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जवाबदावा / स्पष्	
अस्वीकार किया गया है तथा आपके कृत्य को अतिक्रमण मार है।	न कर जनहित में हटाया जाना जरूरी
(2) अतः आप उक्त अतिक्रमण/अवैध निर्माण को ज पालना रिपोर्ट दिनांक को सुबह 11:00 बजे अन्यथा इस कार्यालय द्वारा उपखण्ड प्रशासन/पुलिस ईमद हटाने की कार्यवाही की जायेगी। जिसका समस्त हर्जा खर्चा साथ ही उक्त प्रकरण में आदेश/नोटिस की प्रति आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हेतु निवेदन किया जा रहा	तक पंचायत कार्यालय में पेश करें, राद से उक्त अतिक्रमण/अवैध निर्माण ि आपसे वसूल किया जायेगा। ते भी संबंधित पुलिस थाने में भेजकर
	सरपंच / ग्राम विकास अधिकारी
कमांक:- पंचायत / अतिकमण /	दिनांक :
प्रतिलिपी :	
1. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी / पुलिस उप अधीक्षक महोव	इय, सुमेरपुर
2. श्री विकास अधिकारी, पं.स. / थानाधिकारी, पुलिस थान	π
3. मौका स्थल / गांव के सार्वजनिक चौक पर सदृश्य चर	प्पा / रक्षित पत्रावली

ग्राम विकास अधिकारी